

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदमदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआअविनि/स्था-3/ 1133 /2025/ भोपाल,

दिनांक

// आदेश //

मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (सिविल) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (सिविल)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्रं0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री आशुतोष कुमार वर्मा, पिता श्री रामविचार वर्मा, पता-मकान नं.100 (ख) ग्राम एवं पोस्ट बसन्तपुर, थाना-सुखपुरा जिला-बलिया उ.प्र. पिन कोड-277301 मोबाईल नंबर-7275106439	अनारक्षित वर्ग/ओपन
02	श्री अमित बालोनिया, पिता श्री प्रतापचन्द्र बालोनिया, पता-मकान नं. 4/4, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, गली नं.03 आजाद मार्ग ढाबा रोड़ घाटी, जिला-उज्जैन म.प्र. पिन कोड-456006 मोबाईल नंबर-8269282385	अनुसूचित जाति/ओपन
03	श्री राजेन्द्र कुमार डेहरिया, पिता श्री स्व. सिताबी लाल डेहरिया, पता-वार्ड नं.12 सोनी होटल के पास, तहसील के पीछे बाजार चौक, परासिया जिला-छिदवाड़ा म.प्र. पिन कोड-480441 मोबाईल नंबर-8839396503,8461000819	अनुसूचित जाति/ओपन/20 संविदा कोटा
04	श्री हरीश परमार, पिता श्री बदिया परमार, पता-11/32, यातायाम पुलिस थाने के पास, गोपाल कॉलोनी जिला-झाबुआ म.प्र. पिन कोड-457661 मोबाईल नंबर-7898209050	अनुसूचित जनजाति/ओपन/बैकलॉग
05	श्री राजेश चौधरी, पिता श्री राम चन्द्र चौधरी, पता-बी-15/16, वंसत विहार जिला-उज्जैन म.प्र. पिन कोड-456010 मोबाईल नंबर-7987783855	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा
06	श्री रजनीश कुमार जायसवाल, पिता श्री मनफेर जायसवाल, पता-39, बड़काडोल पोस्ट-भदौरा, जिला-सीधी म.प्र. पिन कोड-486669 मोबाईल नंबर-9009213355	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समयावधि के अन्दर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टापपेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।

7. अभ्यार्थी को परीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

हस्ता/-

(अजय कुमार शर्मा)

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआविनि/स्था-3/1133 /2025/भोपाल,

दिनांक 7.5.25

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 5- परियोजना यंत्री, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 संभाग-01 भोपाल की ओर निर्देशित कर वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।

(आलोक निगम)

अधीक्षण यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदमदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआअविनि/स्था-3/ 1134 /2025/ भोपाल, दिनांक
//आदेश//

मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (विद्युत) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (विद्युत)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्रं0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री देवाशीष भार्गव , पिता श्री विनोद भार्गव, पता-प्रगति हाईस्कूल के पास, टीलाखेड़ी, घर नं.-316, वार्ड नं.-39 जिला-विदिशा म.प्र. पिन कोड-464001 मोबाईल नंबर-9009879138	अनारक्षित वर्ग/ओपन
02	श्री नबील अहमद, पिता श्री शकील अहमद, पता-35, आजाद नगर, पोस्ट-बोंदा जिला-बोंदा उ.प्र. पिन कोड-210001 मोबाईल नंबर-9718818147	अनारक्षित वर्ग/ओपन
03	श्री ऋषभ श्रीवास्तव, पिता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव, पता-मं.नं.-177, अग्रवाल नगर, साधना एनक्लेव के पीछे, बागसेवनिया थाने के पास, होशंगाबाद रोड जिला-भोपाल म.प्र. पिन कोड-426026 मोबाईल नंबर-7987185066	अनारक्षित वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा
04	सुश्री सोनाली चन्देश्वर, पिता श्री राजकुमार चन्देश्वर, पता-वार्ड.नं.-04, मुनसिपल कॉलोनी मोहगाँव, पोस्ट-मोहगाँव बिरसा जिला-बालाघाट म.प्र. पिन कोड-481116 मोबाईल नंबर-9575444086	अनुसूचित जाति/महिला
05	सुश्री पल्लवी चिकाने, पिता श्री बाजेराव चिकाने, पता-136 दीवान कालोनी, मंगल भवन के पास चन्द्रशेखर वार्ड कं.15 जिला-बैतूल म.प्र. पिन कोड-460001 मोबाईल नंबर-8770492194	अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
06	श्री प्रफुल्ल कुमार लोखंडे, पिता श्री प्रभाकर लोखंडे, पता-एम.पी.बी.ई कालोनी, डाल्डा फैक्ट्री के सामने, शास्त्री वार्ड बाबरिया रोड, जिला-सिवनी म.प्र. पिन कोड-480661 मोबाईल नंबर-9131657077	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा
07	श्री कृष्णा धुवारे, पिता श्री टीकाराम धुवारे, पता-ग्राम-टेमनी, पो-भौरगढ़, तहसील-खैरलांजी, जिला-बालाघाट म.प्र. पिन कोड-481337 मोबाईल नंबर-977572427	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समयावधि के अन्दर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टापपेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।



7. अभ्यार्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 8. अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 9. उपरोक्त नियुक्तियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

हस्ता/-

(अजय कुमार शर्मा)

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना

विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/ 1134/2025/भोपाल,
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

दिनांक 7-5-25

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 5- परियोजना यंत्री, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 संभाग-01 भोपाल की ओर निर्देशित कर वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।

(आलोक निगम)

अधीक्षण यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना

विकास निगम भोपाल